न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 236/2022

रूप सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिधवान (भोलेवाला) तहसील पीलीबंगा हाल हरीके कला तहसील व जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब।

–– प्रार्थी

–:बनाम:–

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

–– अप्रार्थी

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता –– प्रार्थी
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। –– अप्रार्थी

–:: निर्णय :–

दिनांक:–29/07/24

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रार्थी की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र मे दर्ज प्रार्थी का पंजीकृत पता सही दर्ज किया है।

प्रार्थी के नाम चक 41 एल.एल.डब्ल्यु. के खाता सं. 162/34 के प.नं. 15/236 मु.नं. 44 किला 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/3/0.114, 4/4/0.012, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 15/1/0.228, 15/2/0.025 की कुल 0.885 हैक्ट. में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है इस कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा मे प्रार्थी का नाम खड़ पुत्र गुरबक्स सिंह गलत रूप से लिखा गया है जबकि प्रार्थी के नाम रूप सिह पुत्र गुरबक्स सिंह है जिसमे गुरादिता सिह व हरगोविन्द सिंह प्रार्थी के भाई है व गुरजिन्द्र सिंह जसविन्द्र सिंह प्रार्थी के चाचा के लड़के है जिसमे प्रार्थी के साथ खाता साझां है इसी प्रकार चक 41 एलएलडब्लयू के खाता सं. 164/23 के प.नं. 14/236 मु.नं. 43 के किला नं. 20, 21 व प.नं. 15/236 मु.नं. 44 किला नं. 16/1/0.228, 16/2/0.025, 25/1/0.228, 25/2/0.025 की कुल 1.012 हैक्ट. जिसमें प्रार्थी का नाम रूड़ पुत्र गुरबक्स सिंह दर्ज कर रखा है जिसमें प्रार्थी का 1/16 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें भी प्रार्थी के दोनों भाईयो का हिस्सा संयुक्त रूप से दर्ज है। प्रार्थी का सही नाम रूप सिंह पुंत्र गुरबक्स सिंह है जिसके आधार कार्ड की प्रति सलंग्न है। प्रार्थी के राशन कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पास बुक व चक 41 एलएलडब्लयू के खाता सं. 89/66 मे कुल 6.654 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम रूप सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह हिस्सा 379/13308 दर्ज रिकॉर्ड है व इसी [illegible] के खाता [illegible]38 मे प्रार्थी का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा व नाम रूप सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह [illegible] दर्ज [illegible] प्रकार इन दोनों खातो की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम रूप सि[illegible] प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम खड़ व रूड़ गलत व अविधिक रूप से दर्ज [illegible]से प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की द[illegible] 2 में वर्णित कृषि भूमि क[illegible] चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 162/34 के प.नं. 15/236 मु.नं. 44 किला नं. 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/3/0.114, 4/4/0.012, 6/1/0,228, 6/2/0.025, 15/1/0.228, 5/2/0.025 की कुल 0.885 हैक्ट. में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है में प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:31:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नाम खड़ पुत्र गुरबक्स सिंह को दुरूस्त कर रूप सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह किया जावे व चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 164/23 के प.नं. 14/236 मु.नं. 43 के किला नं. 20, 21 व प.नं. 15/236 मु.नं. 44 किला नं. 16/1/0.228, 16/2/0.025, 25/1/0.228, 25/2/0.025 की कुल 1.012 हैक्ट. जिसमें प्रार्थी का नाम रूड़ पुत्र गुरबक्स सिंह दर्ज कर रखा है को दुरूस्त कर रूप सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह दर्ज किया जावें। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 41 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 162/34 के प.नं. 15/236 मु.नं. 44 किला नं. 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/3/0.114, 4/4/0.012, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 15/1/0.228, 15/2/0.025 की कुल 0.885 हैक्ट.. में प्रार्थी का 1/12 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है में प्रार्थी का नाम खड़ पुत्र गुरबक्स सिंह को दुरूस्त कर रूप सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह किया जावे व चक 41 एल एल डब्लयू के खाता सं. 164/23 के प.नं. 14/236 मु.नं. 43 के किला नं. 20, 21 व प.नं. 15/236 मु.नं. 44 किला नं. 16/1/0.228, 16/2/0.025, 25/1/0.228, 25/2/0.025 की कुल 1.012 हैक्ट. जिसमें प्रार्थी का नाम रूड़ पुत्र गुरबक्स सिंह दर्ज कर रखा है को दुरूस्त कर रूप सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह दर्ज किया जावें ।

तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 41 एलएलडब्ल्यू के प.न. 14/236 व 15/236 की 1.012 हैक्ट. चक 41 एलएलडब्ल्यू में नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि में रूड़सिंह पुत्र गुरबक्शसिंह जाति जटसिख 1/16 हिस्सा साकिन हरिके तहसील मुक्तसर हाल आबाद रामपुरा सिधवान खातेदार तथा चक 41 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या 162 प.न. 15/236 की 0.885 हैक्ट. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि में खड़सिंह पुत्र गुरबक्शसिंह 1/2 हिस्सा जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिधवान खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी स्वयं उपस्थित मिला जिसका आधार कार्ड 512635117712 में नाम रूपसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह निवासी हरिके कला तहसील मुक्तसर साहिब (पंजाब) दर्ज है। उपस्थित मौतबिरान ने पूछताछ के आधार पर बताया कि खड़सिंह पुत्र गुरबक्शसिंह व रूड़सिंह पुत्र गुरबक्शसिंह तथा रूपसिंह पुत्र गुरबंक्शसिंह ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं जिसका सही नाम रूपसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह बताया गया। तहसीलदार रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में प्रार्थी के सहकाश्तकारों गुरादित्ता सिंह एवं गुरजिन्द्र सिंह के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गए है जिसमें प्रार्थी का सही नाम रूप सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह बताया गया है। शपथ पत्र शामिल मिसल है। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली एवं शपथ पत्र अवलोकन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन अवलोकन व तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

बहस अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली अवलोकन व संलग्न दस्तावेजो, शपथ पत्र अवलोकन व तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। तहसील पीलीबंगा के चक 41 एलएलडब्ल्यू के प.न. 14/236 व 15/236 की 1.012 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि में रूड़सिंह पुत्र गुरबक्शसिंह जाति जटसिख 1/16 हिस्सा साकिन हरिके तहसील मुक्तसर हाल आबाद रामपुरा सिधवान खातेदार तथा चक 41 एलएलडब्ल्यू खाता संख्या 162 प.न. 15/236 की 0.885 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि में खड़सिंह पुत्र गुरबक्शसिंह 1/12 हिस्सा जाति जटसिख साकिन रामपुरा सिधवान खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है में क्रमशः प्रार्थी का नाम रूड़सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह व खड़सिंह पुत्र गुरबक्शसिंह के स्थान पर रूप सिंह पुत्र गुरबक्स सिंह दर्ज करने के आदेश फरमाये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:31:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवम्
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.31 11:31:53 IST
Reason: SelfAttested